बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2029–30 तक राज्य के सरकारी/सरकार के अधीन भवनों पर कुल 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का **Renewable Energy Services Company (RESCO)** मोड में अधिष्ठापन की स्वीकृति एवं संबंधित विभागों द्वारा **RESCO** डेवलपर के साथ सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित ऊर्जा के क्रय हेतु **Power Purchase Agreement(PPA)** किये जाने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2029–30 तक राज्य के सरकारी/सरकार के अधीन भवनों पर कुल 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का **Renewable Energy Services Company(RESCO)** मोड में अधिष्ठापन की स्वीकृति एवं संबंधित विभागों द्वारा **RESCO** डेवलपर के साथ सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित ऊर्जा के क्रय हेतु **Power Purchase Agreement(PPA)** किये जाने की स्वीकृति के प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित की गयी है।

(अजय यादव)
सरकार के सचिव।

(2)

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2026–27 में "दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन" योजना अंतर्गत खरीफ, रबी एवं गरमा मौसम में विभिन्न दलहनी फसलों को बढ़ावा देने हेतु कुल 7984.61604 लाख (उनासी करोड़ चौरासी लाख एकसठ हजार छः सौ चार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य को दलहन में आत्मनिर्भर बनाना, दलहनी फसलों का क्षेत्रफल विस्तार, दलहन का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना, भंडारण एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देना एवं पोषण सुरक्षित करते हुए किसानों की आय में वृद्धि करना है।

खरीफ दलहनी फसल अन्तर्गत अरहर एवं कुल्थी, रबी दलहनी फसल अंतर्गत मसूर, चना, काबुली चना, एवं राजमा तथा गरमा दलहनी फसल अंतर्गत मूंग एवं उड़द फसल के प्रत्यक्षण, क्षेत्र विस्तार, प्रशिक्षण, बीज वितरण एवं बीज उत्पादन कराकर ससमय फसलों के आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करते हुए एवं किसानों की आय में वृद्धि किया जा सकेगा।

(नर्मदेश्वर लाल)
प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2026–27 में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन {नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कृषि (कृषोन्नति योजना)} के अन्तर्गत एग्री स्टैक परियोजना अधीन फार्मर रजिस्ट्री एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे हेतु कुल 15400.00 लाख (एक सौ चौवन करोड़) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय के स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र के लिए एकीकृत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जाना, डेटा और डिजिटल तकनीकों के माध्यम से राज्य की कृषि व्यवस्था को आधुनिक बनाकर किसानों की आय में वृद्धि करना है। एकीकृत फार्मर आई० डी० के माध्यम से राज्य के किसानों को सुगम तरीके से सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभ दिया जा सकेगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे में राज्य के सभी कृषि भूमि में विभिन्न कृषि मौसम में बोये गये फसलों के स्पष्ट चित्रण से फसल आच्छादन, फसल स्वास्थ्य एवं अन्य संबंधित सूचनाओं का वास्तविक समय आधारित संग्रहण किया जा सकेगा।

(नर्मदेश्वर लाल)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

4

बिहार सरकार
<u>कृषि विभाग।</u>

प्रेस नोट

चतुर्थ कृषि रोड मैप के अन्तर्गत खाद्यान्न फसलों एवं वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (कृषोन्नति योजना) के तहत् कुल 4463.438 लाख (चौवालीस करोड़ तिरसठ लाख तैंतालीस हजार आठ सौ) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस योजना का उद्देश्य खाद्यान्न फसल अंतर्गत न्युट्री सिरियल (मिलेट्स), कोर्स सिरियल (मक्का) तथा वाणिज्यिक फसल अन्तर्गत जूट एवं गन्ना में मूंग का अन्तरवर्त्ती खेती, प्रत्यक्षण एवं बीज वितरण कराकर फसलों के आच्छादन के माध्यम से उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना तथा गुणवत्तायुक्त प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। योजना कार्यान्वयन के फलस्वरूप उत्पादन एवं किसानों की आय मे वृद्धि होगी।

(नर्मदेश्वर लाल)
प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस नोट

महात्मा गांधी नरेगा एक जुलाई 2026 से निरसित हो जाने के फलस्वरूप विकसित भारत– रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत– जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से नीतियों के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा जनभागीदारिता से परियोजनाओं का निगरानी करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं परियोजनाओं के कियान्वयन में पाये गये दोष का पता लगाकर उन्हें दूर करने हेतु विकसित भारत– रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत– जी राम जी) अधिनियम, 2025 अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी का अंगीकरण की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

प्रधान सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार, पटना ।

(6)

बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

सूचना

माननीय आर्बिट्रेशन न्यायालय, माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में बंद मोतीपुर, मुजफ्फरपुर चीनी मिल की लीज की गई 266 (दो सौ छियासठ) एकड़ जमीन मेसर्स इन्डियन पोटाश लि० (आई.पी.एल.) से वापस प्राप्त करने हेतु आई.पी.एल. को सूद सहित मो० 63,39,14,958 (तिरसठ करोड़ उनतालीस लाख चौदह हजार नौ सौ अनठावन) रूपये भुगतान की स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई है।

उक्त जमीन का उपयोग सात निश्चय–3 के तहत् "समृद्ध उद्योग–सशक्त बिहार" अन्तर्गत लिए गए निर्णय के आलोक में नये चीनी मिल, गन्ना अनुसंधान संस्थान एवं अन्य उद्योगों की स्थापना हेतु किया जाएगा। नई चीनी मिल की स्थापना/अन्य उद्योगों की स्थापना के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में गन्ना के रकवा का विस्तार होगा, जिससे किसानों के आय में वृद्धि होगी एवं रोजगार सृजित होंगे।

7/2/24

(धर्मेन्द्र सिंह)
सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

Sanlekh attchment 27

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
प्रेस नोट

राज्य में मत्स्य और जलीय कृषि क्षेत्र में अच्छे विकास की अपार संभावनाएँ है, फिर भी इस क्षेत्र में कई समस्याएँ हैं, जैसे – पर्याप्त अवसंरचना (मत्स्य हैचरी, फिश फार्म, फीड मिल, कोल्ड चेन, आइस प्लांट, फिश मार्केट, प्रोसेसिंग यूनिट आदि) का अभाव, परियोजनाओं का सही और एकीकृत तरीके से क्रियान्वयन न होना, निजी क्षेत्र की कम भागीदारी, तथा बड़े स्तर पर योजना और कार्यान्वयन के लिए किसी समर्पित पेशेवर संस्था का न होना। वर्तमान विभागीय व्यवस्था बड़े, परियोजना–आधारित और PPP मॉडल पर अवसंरचना विकास को प्रभावी ढंग से संभालने में पूरी तरह सक्षम नहीं है।

इन कमियों को दूर करने और राज्य में जलीय कृषि अवसंरचना का योजनाबद्ध, कुशल और सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक समर्पित सरकारी कंपनी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य में मत्स्य एवं जलीय कृषि अवसंरचना के योजनाबद्ध विकास, संचालन एवं प्रबंधन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत "बिहार एक्वॉकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (Bihar Aquaculture Infrastructure and Development Corporation Limited - BAIDCL)" का गठन आवश्यक है।

अतः उक्त के आलोक में राज्य में मत्स्य एवं जलीय कृषि अवसंरचना के योजनाबद्ध विकास, संचालन एवं प्रबंधन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत "बिहार एक्वॉकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (Bihar Aquaculture Infrastructure and Development Corporation Limited - BAIDCL)" के गठन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गयी है।

3/7/26

सचिव

8

17/70

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
प्रेस नोट

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसमें गव्य प्रक्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेन्ट के तहत कॉम्फेड अन्तर्गत बल्क मिल्क कूलर, डाटा प्रोसेसर आधारित दुग्ध संग्रहण इकाई एवं दूध मिलावट जाँच मशीन के स्थापना करना है, ताकि दुग्ध उत्पादकों से संग्रहित दुग्ध को शीघ्रता से निर्धारित तापमान तक ठंडा करना, दुग्ध की गुणवत्ता एवं ताजगी बनाये रखना और उसमें जीवाणु वृद्धि को रोकना, दुग्ध सहकारी समितियों में संग्रहित दुग्ध को सुरक्षित रूप से प्रसंस्करण संयंत्र तक पहुँचना, दुग्ध उत्पादकों को सीधे दुग्ध का संग्रहण कर उसकी गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण एवं पारदर्शी रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करना तथा दुग्ध सहकारी समितियों, बी०एम०सी०/चिलिंग सेन्टर से लेकर डेयरी स्तर तक गुणवत्ता नियंत्रण की सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित हो सके। उक्त के आलोक में सात निश्चय–2 के तहत नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेन्ट के तहत कॉम्फेड अन्तर्गत बल्क मिल्क कूलर, डाटा प्रोसेसर आधारित दुग्ध संग्रहण इकाई एवं दूध मिलावट जाँच मशीन के स्थापना, जिसमें भारत सरकार का अंशदान द्वारा स्वीकृत कुल परियोजना लागत रुपये 56,88,42,000/–(रुपये छप्पन करोड़ अठासी लाख बयालीस हजार) के आलोक में राज्य सरकार द्वारा रुपये 28,44,21,000/– (रुपये अठाईस करोड़ चौवालीस लाख इक्कीस हजार) मात्र के अंशदान के रूप में कॉम्फेड अन्तर्गत बल्क मिल्क कूलर, डाटा प्रोसेसर आधारित दुग्ध संग्रहण इकाई एवं दूध मिलावट जाँच मशीन के स्थापना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक में प्रदान की गयी है।

3/7/26
सचिव

(9)

बिहार सरकार

<u>नगर विकास एवं आवास विभाग</u>

।। प्रेस नोट ।।

राज्य में ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप के सुनियोजित विकास एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन और अन्य तकनीकी सहायता के लिए सी०ई०पी०टी० (सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी) सलाहकार फाउंडेशन, सी०ई०पी०टी० विश्वविद्यालय, अहमदाबाद को नामांकन के आधार पर तकनीकी सहायता इकाई के रूप में चयन करने की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिससे ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप के विकास के लिए रणनीतिक निरीक्षण, नीतिगत सहायता, योजनाओं के कार्यान्वयन, नियामक एवं संस्थागत सुदृढ़ीकरण तथा कार्यक्रम स्तरीय समन्वय एवं अभिसरण में सहायता मिलेगी। उक्त के फलस्वरूप राज्य में नये आर्थिक गतिविधि केन्द्रों का निर्माण तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन होगा।

(विनय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

पाटलिपुत्र (पटना) और तिरहुत (मुजफ्फरपुर) ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप के कोर क्षेत्र को विस्तारित करने तथा पाटलिपुत्र (पटना), हरिहरनाथपुर (सोनपुर), मगध (गया जी) और तिरहुत (मुजफ्फरपुर) के कोर क्षेत्र एवं उसके बाहर विशेष क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, सेवाओं और संबद्ध संरचनाओं के विकास हेतु टाउन प्लानिंग स्कीम के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार भूमि क्रय/भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिससे राज्य सरकार टाउनशिप का मास्टर–प्लान आधारित विकास तीव्र गति से कर सकेगी। साथ ही, सुनियोजित अवसंरचना एवं आधुनिक सुविधाओं के विकास से निजी निवेश आकर्षित होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार सृजन होगा तथा आसपास के क्षेत्रों का समग्र आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा।

(विनय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

(11)

।। प्रेस नोट ।।

राज्य के चार कॉरिडोर में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के निर्माण हेतु अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट (AAR) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने पर होने वाले कुल अनुमानित व्यय ₹31.59 करोड़ (एकतीस करोड़ उनसठ लाख रू0) मात्र की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रतिवेदन तैयार करने के लिए बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली, 2024 के नियम–131 झ (छ) के अलोक में नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) को नामित करने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी।

(विनय कुमार),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

प्रेस नोट

भागलपुर जिलांतर्गत गंगा नदी पर विक्रमशीला सेतु पर बेली ब्रिज निर्माण कार्य, नवीन सस्पेंडेड स्लैब निर्माण कार्य एवं सेतु के संपूर्ण भाग की मरम्मति एवं पुनर्स्थापन हेतु कुल 12625.55 लाख (एक सौ छब्बीस करोड़ पच्चीस लाख पचपन हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

दिनांक 03.05.2026 के मध्य रात्रि में पाया सं0 पी02 से पी03 के बीच के स्पैन का सस्पेंडेड स्लैब (34 मी0) क्षतिग्रस्त हो गया है। फलस्वरूप पुल से होकर यातायात पूरी तरह बंद हो गया है। राज्य सरकार के पहल पर सीमा सड़क संगठन (बी0आर0ओ0) के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् बेली ब्रिज निर्माण कराने से संबंधित आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बेली ब्रिज निर्माण के उपरान्त हल्के वाहनों का आवागमन प्रारंभ हो जाएगा। यह पुल अंग क्षेत्र को कोशी क्षेत्र से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

13

प्रेस नोट

सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 एवं राज्य सरकार के 7 निश्चय में से एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इस योजना के तहत बिहार राज्य के 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार युवक/युवतियाँ, जो आगे की पढ़ाई नहीं किए हों और ना ही कर रहें हों, को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर प्रत्येक माह 1000.00 (एक हजार) रूपये की दर से स्वयं सहायता भत्ता अधिकतम 2 वर्षो तक दिया जाता है।

राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्व से संचालित "मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना के लाभुकों के शैक्षणिक योग्यता में स्नातक (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से) उत्तीर्ण को भी शामिल किया गया है। इसके फलस्वरूप दिनांक–01.10.2025 से राज्य के 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के साथ–साथ स्नातक (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से) उत्तीर्ण 20–25 आयु वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों को भी रोजगार की तलाश करने एवं स्व–रोजगार स्थापित करने में आर्थिक सहायता हेतु 1000/– रूपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्षों तक स्वयं सहायता भत्ता की राशि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना की अवधि दिनांक–31.03.2026 को समाप्त हो चुकी है, इसके उद्देश्यों की निरंतर प्राप्ति हेतु योजना को विस्तारित किया जाना आवश्यक है।

उक्त परिपेक्ष्य में मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना को अगले पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31) तक विस्तारित करने तथा उक्त योजना के कार्यान्वयन पर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्वयं सहायता भत्ता मद में कुल अनुमानित राशि 300.00 (तीन सौ) करोड़ रू0 व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी हैं।

2.7.2026

(डॉ0 एन0 विजयलक्ष्मी)
अपर मुख्य सचिव
योजना एवं विकास विभाग
बिहार, पटना

All File/7Nischay-2/New

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
"प्रेस नोट"

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित 10 (दस) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों यथा मुजफ्फरपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर, नालन्दा अभियंत्रण महाविद्यालय, चण्डी, दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा, गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया, कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पश्चिम चम्पारण, सुपौल अभियंत्रण महाविद्यालय, सुपौल एवं श्री फणिश्वरनाथ रेणु अभियंत्रण महाविद्यालय, अररिया एवं बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना में विभिन्न तकनीकी संकायो में P.G. (M. Tech) पठन–पाठन पूर्व से ही प्रारम्भ है तथा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना में M. Tech in Civil Engineering (Geoinformatics) का पठन–पाठन सत्र 2025–2026 से प्रारम्भ किया गया है। उक्त हेतु शैक्षणिक पदों का सृजन किया जाना समीचीन है।

उपरोक्त के आलोक में विभागान्तर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली (AICTE) के मापदण्ड एवं EoA (Extension of Approval) 2025-2026 के आधार पर कुल–10 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालयों में आवश्यक विभिन्न तकनीकी संकायो में P.G. (M. Tech) पाठ्यक्रमों के कुल–76 (छिहत्तर) शैक्षणिक पद यथा (प्राध्यापक–09, सह–प्राध्यापक–29 एवं सहायक प्राध्यापक–38) के सृजन किये किया जाना है।

AICTE Approval Process Handbook 2024—2027 के कंडिका–5.3 Post Graduate Degree Programme के आलोक में Engineering and Technology Faculty: Student Based on Approved Intake 01:15 है, जिसमें Professor, Associate Professor and Assistant Professor Ratio = (1+2+6) है।

अतएव अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) के मापदण्ड के मापदण्ड एवं EoA (Extension of Approval) 2025-2026 के आधार पर विभागान्तर्गत

कुल–10 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में आवश्यक विभिन्न तकनीकी संकायो में P.G. (M. Tech) करने हेतु कुल 74+02=76 (प्राध्यापक–09, सह–प्राध्यापक–29 एवं सहायक प्राध्यापक–38) शैक्षणिक पदों का सृजन करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(हिमांशु शर्मा)
सचिव।

धर्म / 20.05.2026

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

15

संचिका संख्या– वि०प्रा०त०शि० (VII) योजना –38 / 2025

प्रेस नोट

राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों में संचालित डिग्री अभियंत्रण प्रोग्राम के पाठ्यक्रम को परिणाम आधारित बनाने एवं प्रौद्योगिकी में अद्यतन प्रगति के अनुरूप विकसित करने हेतु परामर्श एवं प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल को नामित करने एवं उक्त कार्य हेतु जी०एस०टी० सहित कुल रू० 1,75,23,000.00 (एक करोड़ पचहत्तर लाख तेईस हजार रूपये) मात्र बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल को विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

हस्ताक्षर :–

नाम :– हिमांशु शर्मा

पदनाम :– सचिव

विभाग का नाम :– विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

16

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के परिपत्र संख्या 1876

दिनांक 19.10.2006 के आलोक में

निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना

प्रेस नोट

= = = = =

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक–23/ERO-AERO/HON//2025-ERS दिनांक–02.08.2025 के आलोक में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण एवं तैयारी में सहयोग एवं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किये जाने के फलस्वरूप प्रत्येक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को वार्षिक मानदेय की राशि ₹30,000/– की दर से निर्धारित किये जाने पर राज्य में वर्तमान में कुल 243 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के मानदेय भुगतान हेतु वार्षिक कुल ₹72,90,000/– (बहत्तर लाख नब्बे हजार) रूपये मात्र व्यय एवं भुगतान की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर–
नाम– माधव कुमार सिंह
पदनाम– अपर सचिव–सह–
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के परिपत्र संख्या 1876

दिनांक 19.10.2006 के आलोक में

निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना

प्रेस नोट

= = = = =

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक–23/ERO-AERO/HON//2025-ERS दिनांक–02.08.2025 के आलोक में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों द्वारा निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण एवं तैयारी में सहयोग एवं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किये जाने के फलस्वरूप प्रत्येक सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को वार्षिक मानदेय की राशि ₹25,000/– की दर से निर्धारित किये जाने पर राज्य में वर्तमान में कुल 1351 सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के मानदेय भुगतान हेतु वार्षिक कुल ₹3,37,75,000/– (तीन करोड़ सैंतीस लाख पचहत्तर हजार) रूपये मात्र व्यय एवं भुगतान की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर–
नाम– माधव कुमार सिंह
पदनाम– अपर सचिव–सह–
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

18

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पटना के स्थापना के बाद संस्थान में मरीजों की संख्या एवं शैक्षणिक गतिविधियों में लगातार वृद्धि को देखते हुए संस्थान में सुपर–स्पेशलिटी ब्लॉक, चक्षु केन्द्र आदि सहित अन्य आवश्यक भवनों के निर्माण तथा अन्य आवश्यक अनुषंगी सुविधाएँ संस्थान में उपलब्ध कराने हेतु संस्थान के विस्तारीकरण के लिए मौजा–भुसौला दानापुर, थाना नं०–40 में रकवा 26.76 एकड़ का अधिग्रहण के लिए चिन्हित भूमि पर होने वाले व्यय की अनुमानित लागत रु० 3,48,89,98,270/–(रुपये तीन अरब अड़तालीस करोड़ नवासी लाख अट्ठानबे हजार दो सौ सत्तर) मात्र की वित्तीय वर्ष 2026–27 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

इससे विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित मरीजों को एक ही केन्द्र पर बेहतर उच्चस्तरीय चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

8.7.26

सरकार के अपर सचिव

19

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

मधुबनी जिलान्तर्गत अंचल—लखनौर, मौजा—बेहट (अदलपुर), थाना सं0—238, खाता सं0—2466 (नया), खेसरा सं0—892 (नया) की कुल प्रस्तावित रकवा—05 एकड़ उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को हस्तान्तरित भूमि पर नवीन केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :—
नाम :— जय सिंह
पदनाम :— सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

मुंगेर जिलान्तर्गत अंचल—मुंगेर सदर के मौजा—मय, थाना सं0—145 के विभिन्न खाता एवं खेसरा एवं मौजा—शंकरपुर, थाना सं0—146 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकवा—05 एकड़ उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को हस्तान्तरित भूमि पर नवीन केन्द्रीय विद्यालय, मुंगेर सदर, के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :—
नाम :— जय सिंह
पदनाम :— सचिव

(21)

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत अंचल—मुशहरी, मौजा—मुशहरी उर्फ राधा नगर, थाना सं0—475, खाता सं0—575, खेसरा सं0—557 की कुल प्रस्तावित रकवा—05 एकड़ गौशाला की भूमि पर नवीन केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :—
नाम :— जय सिंह
पदनाम :— सचिव

22

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

मुंगेर जिलान्तर्गत सिंचाई प्रमण्डल लक्ष्मीपुर अधीन सिंघवारणी जलाशय योजना एवं इससे निकलने वाली उच्च स्तरीय मुख्य नहर (0 से 317 चेन तक) में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित अंचल—हवेली खड़गपुर, मौजा—रमनकाबाद, थाना सं0—382 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकवा—39 एकड़ 58 डी0 भूमि सिंघवारणी जलाशय योजना में प्रयुक्त होने वाले वन भूमि के अपयोजन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :—
नाम :— जय सिंह
पदनाम :— सचिव